

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-12062020-219904
SG-DL-E-12062020-219904

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108]	दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2020/ज्येष्ठ 18, 1942	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 43
No. 108]	DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2020/JYAISTHA 18, 1942	[N.C.T.D. No. 43

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (सामान्य) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली 8 जून 2020

सं0फा0 18/191/2015/गृह सा0/1840-1853.-दिल्ली कारागार अधिनियम, 2000 (2002 का दिल्ली अधिनियम संख्या 02) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार माननीय मंत्री (गृह) के अनुमोदन के अनुसार दिल्ली कारागार नियमावली, 2018 में संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-** (1) इन नियमों को दिल्ली कारागार (संशोधन) नियमावली, 2020 कहा जाए।
(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।
2. **नियम 1257-घ का संशोधन :-** दिल्ली कारागार नियमावली, 2018 के नियम 1257-घ को निम्न प्रकार से जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-

“बशर्ते कि अध्यक्ष सजा समीक्षा बोर्ड मामलों के तथ्य तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यह निर्णय लेता है, कि अस्वीकृत किये गये मामले छह माह की अवधि की समाप्ति से पूर्व विचारणीय हो सकते हैं।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के गृह मंत्री
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एम0के0 अग्रवाल, उप-सचिव : गृह

नोट: मूल नियम दिनांक 01.10.2018 की अधिसूचना फा0 नं0 9/87/2018/एचजी/5980 के द्वारा अधिसूचित किया गया था और निम्नानुसार उत्तरवर्ती संशोधन किये गये:-

क्र० सं०	फाईल संख्या	दिनांक
1.	सं०फा0 18/191/2015/गृह सा०/1379-1392	23.3.2020
2.	सं०फा0 18/191/2015/गृह सा०/1673-78	22.5.2020

HOME (GENERAL) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 8th June, 2020

F.No.18/191/2015-HG/1840-1853.—In exercise of the powers conferred by section 71 of the Delhi Prison Act, 2000 (Delhi Act 2 of 2002), the Government of National Capital of Territory of Delhi, as per approval of Hon'ble Minister (Home), makes the following Rules to amend the Delhi Prisons Rules, 2018, namely:-

1. **Short title and commencement:-** (1) These Rules may be called the Delhi Prisons(Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall be come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. **Amendment of Rule 1257 d:-** In the Delhi Prisons Rules, 2018, after Rule 1257 d, the following Proviso shall be added namely:-

“Provided that the rejected cases can be considered prior to the expiry of a period of six months, if the Chairman of the Sentence Review Board so decides, keeping in view the facts and circumstances of the case.”

By Order and in the Name of the Minister of Home
Government of the National Capital Territory of Delhi

M.K. AGGARWAL, Dy. Secy.: Home

Note:- The Principal Rule was notified vide No. F.9/87/2018/HG/5980 dated 01/10/2018 & subsequently amended as under:-

S.No.	File No.	Date
1	F.No.18/191/2015/HG/1379-1392	23.03.2020
2	F.No.18/191/2015/HG/1673-78	22.05.2020